प्रकरण संख्या 91/2016 प्रमोद व अन्य बनाम तहसीलदार गनोडा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 15–05–2015 को तनकियात के लिए नियत थी। आश्चर्य जनक रूप से दिनांक 15–05–2015 से लेकर दिनांक दिनांक 24–04–2016 तक तनकियात कायम नहीं की गयी तथा दिनांक 24–04–2016 को पत्रावली दिनांक 31–05–2016 के लिए पेश होने के निर्देश हुए, परन्तु दिनांक 31–05–2016 को पत्रावली पेश ही नहीं हुई एवं अचानक दिनांक 28–06–2016 को प्रस्तुत हुई तथा दिनांक 28–06–2016 को कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम किये बिना तथा वादी की साक्ष्य लिये बिना ही प्रकरण में सरसरी रूप से निर्णय करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जो स्पष्ट रूप प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित प्रक्रिया तथा आदेश 14 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रृटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर तथा उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रकरण में तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04–09–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 91/2016 प्रमोद व अन्य बनाम तहसीलदार गनोडा</u>

प्रकरण संख्या 91/2016 प्रमोद व अन्य बनाम तहसीलदार गनोडा